

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

संख्या 04/2025 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी, 2025

सा.का.नि.....(अ) .- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, इनपुट सेवा वितरक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के अन्तर्गत, दिसम्बर, 2024 माह के लिए प्रारूप जीएसटीआर-6 में विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को, माह जनवरी, 2025 के पंद्रहवे दिन तक आगे बढ़ाते हैं।

[फ.सं. सीबीआईसी-20021/2/2025-जीएसटी]

(रौशन कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव